भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1224
दिनांक 30 जुलाई, 2024 / 8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मानदण्ड

†1224. श्री के. सुधाकरनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई प्रक्रिया अथवा मानदंड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की दिल्ली की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत वितरित करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की योजना किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर विचार नहीं करती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, राहत के उपाय भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करती हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार आपदा की तीव्रता और परिमाण, अपेक्षित राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए मामला - दर - मामला आधार पर "गंभीर प्रकृति' की विपत्ति का निर्णय करती है।

****